

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ 8-2/2008/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर, 2008

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।


विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों को अंतरिम राहत स्वीकार करने के संबंध में।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के कर्मचारियों को दिनांक 01 सितम्बर, 2008 से (माह सितम्बर, 2008 का वेतन जो माह अक्टूबर, 2008 में देय है) मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन की 20 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जावे।

2. अंतरिम राहत की यह राशि न तो वेतन के रूप में समझी जावेगी और न ही भत्ते और न ही मजदूरी के रूप में मानी जावेगी तदनुसार यह राशि किसी भी सेवा लाभ अर्थात् मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्तों, वेतन नियतन, अवकाश नगदीकरण, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की संगणना करने के लिये नहीं गिनी जायेगी
3. अंतरिम राहत की राशि का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर से किया जावेगा
4. अंतरिम राहत की राशि वेतन मद से विकलनीय होगी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा


आदेशानुसार


(अशोक दास)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
21. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग